



Neutral Citation No. - 2026:AHC:55330

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या - 9259 वर्ष 2026

आदर्श पटेल

...आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

...विपक्षी(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता : अनिरुद्ध पटेल, संतोष कुमार सिंह पालीवाल

विपक्षी(गण) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता, राम कुमार दुबे

न्यायालय संख्या - 64

माननीय न्यायमूर्ति विवेक वर्मा

1. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत पोस्टमार्टम रिपोर्ट की प्रति अभिलेख पर ली गई है।
2. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता, सूचनादाता के अधिवक्ता श्री राम कुमार दुबे और राज्य-प्रत्यर्थी के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता श्री एन.के. शर्मा को सुना गया।
3. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 483 के तहत वर्तमान जमानत आवेदन आवेदक आदर्श पटेल को थाना थरवई, जिला प्रयागराज में पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 25 वर्ष 2026, धारा 61(2), 108, 351(3) बी.एन.एस. के अंतर्गत विचारण लंबित रहने के दौरान जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना के साथ दायर किया गया है।
4. आवेदक के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि आवेदक को वर्तमान मामले में झूठा फंसाया गया है। घटना 01.02.2026 को होने का आरोप है। प्रथम सूचना रिपोर्ट 06.02.2026 को दर्ज की गई थी। यह देरी अभियोजन के मामले के लिए घातक है। प्राथमिकी दर्ज होने से पहले, मृतका की बहन ने संबंधित थाने में एक आवेदन दिया था जिसमें कहा गया था कि मृतका मानसिक रूप

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



से स्वस्थ नहीं थी और 01.02.2026 को 16:30 बजे घर से निकली थी, जिसके बाद उसका शव रेलवे ट्रैक पर मिला था। उस आवेदन में दिया गया विवरण बाद में प्राथमिकी में लगाए गए आरोपों का तात्त्विक रूप से खंडन करता है। विवेचना अधिकारी द्वारा पीड़िता की कोई अश्लील तस्वीर या कोई अश्लील वीडियो बरामद नहीं किया गया है। इसके अलावा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार, मृत्यु का कारण अत्यधिक रक्तस्राव है जो मृत्यु-पूर्व चोटों के परिणामस्वरूप हुआ है। इसके अतिरिक्त, प्राथमिकी के आरोपों और जांच के दौरान एकत्र की गई सामग्री के अनुसार, बी.एन.एस. की धारा 108 के तहत अपराध गठित करने के लिए आवश्यक तत्व नहीं पाए गए हैं। आवेदक ने किसी भी तरह से मृतका को आत्महत्या के लिए नहीं उकसाया। अपने तर्क के समर्थन में, आवेदक के अधिवक्ता ने माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णयों **निपुण अनेजा और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (आपराधिक अपील संख्या 654/2017) निर्णय दिनांक 03.10.2024 और अभिनव मोहन डेलकर बनाम महाराष्ट्र राज्य एवं अन्य (आपराधिक अपील संख्या 2177-2185/2024) निर्णय दिनांक 18.08.2025** पर अवलम्ब लिया है। आवेदक 07.02.2026 से जेल में है, उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और जमानत मिलने पर वह इस स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।

5. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता और सूचनादाता के अधिवक्ता ने जमानत की प्रार्थना का विरोध किया, लेकिन अभिलेख के आधार पर उपरोक्त तर्कों का संतोषजनक खंडन नहीं कर सके।

6. पक्षों के अधिवक्ताओं को सुनने और अभिलेख का परिशीलन करने के बाद, यह न्यायालय प्रथम दृष्टया पाता है कि प्राथमिकी देरी से दर्ज की गई है। मृतका की बहन द्वारा दिए गए आवेदन का विवरण बाद में प्राथमिकी में पेश किए गए आरोपों का तात्त्विक रूप से खंडन करता है। प्राथमिकी के आरोपों और जांच के दौरान एकत्र सामग्री के अनुसार, बी.एन.एस. की धारा 108 के तहत अपराध के आवश्यक तत्व नहीं बनते हैं। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। इसके अलावा, आवेदक एक महीने से अधिक समय से जेल में है और आरोप पत्र दाखिल होने के बाद विचारण के शीघ्र समापन की कोई उम्मीद नहीं है, राज्य की ओर से ऐसी कोई उचित आशंका भी व्यक्त नहीं की गई है कि जमानत मिलने पर आवेदक साक्ष्यों के साथ

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



छेड़छाड़ करेगा या विचारण में देरी करेगा अथवा गवाहों को डराएगा। अतः मामले के गुण-दोष पर टिप्पणी किए बिना, मेरी राय है कि आवेदक जमानत पर रिहा होने का हकदार है।

7. उपर्युक्त मामले में शामिल आवेदक **आदर्श पटेल** को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार व्यक्तिगत बंधपत्र और समान राशि की दो जमानतें प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाए:

(i) वह विचारण न्यायालय द्वारा नियत तिथि पर उपस्थित होगा;

(ii) वह अभियोजन के साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा; और,

(iii) वह अभियोजन के गवाहों पर दबाव नहीं डालेगा।

8. उपरोक्त में से किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, अभियोजन पक्ष इस न्यायालय के समक्ष जमानत निरस्तीकरण आवेदन देने के लिए स्वतंत्र होगा।

(माननीय न्यायमूर्ति विवेक वर्मा)

18 मार्च, 2026

एलबीएम/